आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 23 जनवरी 2020

क्रमांक एफ 7-31/2018/32.—राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 23-क (1) एवं (2) के अंतर्गत इस विभाग की समसंख्यक सूचना दिनांक 05-10-2018 द्वारा अरपा विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण योजना 2033 में लोक प्रयोजनार्थ निम्नानुसार भूमि का उपांतरण प्रस्तावित करते हुये दो प्रमुख दैनिक स्थानीय समाचार पत्रों में एक दिन प्रकाशित की गई थी :—

अरपा विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण योजना 2033 में उपांतरण

क्र.	ग्राम का नाम	खसरा क्र.	रकबा (वर्गफीट में)	विकास योजना में अंगीकृत प्रस्ताव	अधिनियम की धारा 23-क (1) एवं (2) के तहत् उपांतरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	सरकण्डा प.ह.नं. 11/15	1117, 1118, 1119, 1120 एवं 1122	2512.50 वर्गफीट	मिश्रित उपयोग, वाणिज्यिक एवं मार्ग 12 मीटर	मार्ग 9 मीटर

2. उक्त उपांतरण अरपा विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण विकास योजना 2033 हेतु है.

3. सूचना में उल्लेखित निश्चित् समयावधि में कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है.

4. अत: राज्य शासन एतद्द्वारा अरपा विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण योजना 2033 में उपरोक्त उपांतरण की पुष्टि करता है. उक्त उपांतरण अरपा विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण योजना 2033 का अंगीकृत भाग होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेजीना टोप्पो, अपर सचिव.

गृह (पुलिस) विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 19 मार्च 2020

क्रमांक एफ-1-50/2013/दो-गृह/भापुसे.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री अरूण देव गौतम, सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह एवं जेल विभाग को दिनांक 23-03-2020 से 28-03-2020 (कुल 06 दिवस) तक का अर्जित अवकाश स्वीकृति प्रदान की जाती है. साथ ही दिनांक 20, 21, 22 एवं 29 मार्च 2020 को विज्ञप्त शासकीय अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री अरूण देव गौतम, (भापुसे), सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह एवं जेल विभाग के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री गौतम (भापुसे) को अवकाश वेतन, भत्ते एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश में जाने से पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री गौतम (भापुसे) अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. पी. कौशल, अवर सचिव

Scanned with CamScanner

"अरपा विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण योजना 2033 में उपांतरण"

छ०ग० शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग की अधिसूचना क्र० एफ-7-31/2018/32
दिनांक 23 जनवरी 2020 एवं छ०ग० राजपत्र दिनांक 05 जून 2020 में प्रकाशित
ग्राम- खरकडा, ख०क्र०: 1117, 1118, 1119, 1120, 1122 कुल रकबा- 2512.50 व.मी.
(मिश्रित, वाणिज्यिक एवं मार्ग 12 मी. से मार्ग 9 मी. उपांतरण)

N

(NOT TO SCALE)